

प्रेस नोट थाना बेलघाट दिनांक 23-11-2020

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण विक्री व रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल नेतृत्व में थाना बेलघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.11.2020 को SI श्री राकेश कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह, का0 अखण्ड प्रताप सिंह, का0 विवेक यादव , का0 चन्द्रमा यादव व का0 जितेन्द्र यादव के बिनावर अवैध कच्ची शराब विक्री व निष्कर्षण की रोकथाम हेतु क्षेत्र मे मामूर था कि जरिये मुखबिर खास से सूचना मिली कि मु0अ0सं0 794/20 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त ग्राम बभनौली में मिलावटी देशी कच्ची शराब बेच रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर ग्राम बभनौली में हम पुलिसवाले मौके पर पहुँचकर अभियुक्त सुजीत गौड़ पुत्र रामजनम गौड़ ग्राम बभनौली थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र 26 वर्ष को एक जरिकेन में करीब 20 ली0 अपमिश्रीत कच्ची शराब व एक प्लास्टिक में 300 ग्राम नौसादर के साथ जेर निगरानी जेर हिरासत हमराहीगणो के लेकर उपस्थित थाना आया। जिसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता

अभियुक्त सुजीत गौड़ पुत्र रामजनम गौड़ ग्राम बभनौली थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	परिणाम
1.	129/12	394 IPC	बेलघाट	गोरखपुर	
2.	130/12	3/25 आर्म्स एक्ट	बेलघाट	गोरखपुर	
3.	87/16	110 G CRPC	बेलघाट	गोरखपुर	
4.	246/17	60 EX ACT	बेलघाट	गोरखपुर	
5.	179/18	60 EX ACT व 272 IPC	बेलघाट	गोरखपुर	
6.	318/18	3/25 आर्म्स एक्ट	बेलघाट	गोरखपुर	
7.	07/2020	60 EX ACT व 272	बेलघाट	गोरखपुर	
8.	51/20	323,504,506 भादवि व 3(1) द 3(1)ध	SC ST Act.	बेलघाट	गोरखपुर
9.	794/203(1)	उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	बेलघाट	गोरखपुर	

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार – थाना बेलघाट गोरखपुर
2. व0उ0नि0 राकेश कुमार सिंह - थाना बेलघाट गोरखपुर
3. का0 अखण्ड प्रताप सिंह - थाना बेलघाट गोरखपुर
4. का0 विवेक यादव- थाना बेलघाट गोरखपुर
5. का0 जितेन्द्र यादव – थाना बेलघाट गोरखपुर
6. चन्द्रमा यादव - थाना बेलघाट गोरखपुर